



प्रेषक,

आनन्द कुमार राय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

चिकित्सा अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 24 फरवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-32 मद में जनपद-हरदोई के आधुनिक चौरघर के समुचित संचालन हेतु उपकरणों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-11फ/प्रस्ताव/चौरघर(उपकरण)/2025-26/1992, दिनांक 31.01.2026 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त अनुदान संख्या-32 मद में जनपद-हरदोई के आधुनिक चौरघर के समुचित संचालन के क्रम में निम्नलिखित उपकरणों के क्रय हेतु कुल धनराशि रुपये 39,77,308/- (उनतालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ आठ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन ही राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	उपकरण का नाम	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जेम पोर्टल के अनुसार (a)	जी०एस०टी० दर प्रतिशत में (b)	प्रति उपकरण अनुमानित मूल्य जी०एस० टी० सहित (a+b)	आपेक्षित उपकरणों की संख्या (c)	कुल धनराशि जी०एस०टी० सहित (a+b) x c
1	A.C. 1.5 ton Split with stabilizer	60000.00	18	70800.00	3	212400.00
2	A.C. of Mortuary (4.5 ton)	150000.00	18	177000.00	1	177000.00
3	Generator (10 kva) for morgue	178000.00	18	210040.00	1	210040.00
4	CCTV Camera (2 megapixel, 1 TB DVRa 21 Days backup)	80000.00	18	94400.00	1	94400.00
5	Ordinary Video Camera	30000.00	18	35400.00	1	35400.00
6	Autopsy Table of SS with water dranger facility	150000.00	18	177000.00	2	354000.00
7	Enamel tray, Bucket etc, Instrument trolley & dissecting set consisting of Knives, Scissors, forceps, Allis of different Sizes, Autopay Saw, Brain Knife etc, Chiseel, Hammer, Scalpel, Needle, Threds & Needle Holder Gloves, Masks, Apron & Slippers	40000.00	18	47200.00	3	141600.00
8	Steel Almirah	15000.00	18	17700.00	3	53100.00

- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

9	Office Table 6x4	15000.00	18	17700.00	1	17700.00
10	Printer	30000.00	18	35400.00	2	70800.00
11	Automation/Lamination/Xerox	150000.00	18	177000.00	1	177000.00
12	Officer Revolving Chair	12000.00	18	14160.00	3	42480.00
13	Dead body Deep Freezer Single body	168000.00	18	198240.00	4	792960.00
14	Light used during postmortem (ceiling mount)	165000.00	18	194700.00	2	389400.00
15	Stretcher to transfer the dead body to the mortuary vehicle	44900.00	18	52982.00	2	105964.00
16	Sururing set with different type of needles with thread to stich a dead body	44900.00	18	52982.00	2	105964.00
17	Electric bone saw machine	169000.00	18	199420.00	5	997100.00
						3977308.00

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के खण्ड 5 भाग-1 एवं उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल शासनादेश संख्या-5/2016/253/18-2-2016-3(एस0पी0)/2010, दिनांक 01.04.2016 में क्रय नियमों/प्रक्रिया के सम्बन्ध में दी गयी व्यवस्था एवं जेम पोर्टल पर विभिन्न विभागों/संस्थाओं/निगमों के द्वारा जेम से क्रय किये जाने के सम्बन्ध में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 22.08.2017, शासनादेश संख्या-7/2020/151/18-2-2020-63(ल030)/2012, दिनांक 13.03.2020, शासनादेश संख्या-31/2020/273/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 25.08.2020, शासनादेश संख्या-17/2021/233/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 31.05.2021, शासनादेश संख्या-42/2021/491/18-2-2020-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 26.10.2021, शासनादेश संख्या-23/2022/163/18-2-2022-97(ल030)/2016टी0सी0, दिनांक 29.06.2022 एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 उद्योग विभाग के अद्यतन शासनादेशों के साथ-साथ क्रय सम्बन्धी प्रचलित समस्त शासनादेशों/नियमों/विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
- परिणत स्वीकृति हेतु वित्तीय/क्रय नियमों, शर्तों एवं प्रतिबंधों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
- उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में इंगित/अनुमानित दरों के आधार पर उक्त स्वीकृति प्रदान की जा रही है। इसके आधार पर ही नियमानुसार अग्रत्तर कार्यवाही की जायेगी।
- चिकित्सा अनुभाग-1 द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-3/2020/470/पांच-1-2020-5(36)/2017, दिनांक 12.03.2020 में निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप यह सुनिश्चित किया जायेगा कि रूपया 2.00 लाख प्रति उपकरण से कम के उपकरणों (साज-सज्जा एवं फर्नीचर को छोड़कर) का क्रय परिधिगत अधिकारियों द्वारा तथा रूपया 2.00 लाख से अधिक के उपकरणों का क्रय उ0प्र0 मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लि0 द्वारा अनिवार्यतः जेम पोर्टल से किया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय टर्नकी आधार पर जेम बिड द्वारा ही सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों द्वारा किया जायेगा। जेम पोर्टल से क्रय अनिवार्यता हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-11/2017/523/18-2-2017-97(ल030)/2016, दिनांक 23.08.2017 के अन्तर्गत आवश्यकता को टुकड़े-टुकड़े में क्रय किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना गया है एवं जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय की निर्धारित गाइड लाइन्स/रूल्स, सी0वी0सी0 एवं प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स, 2022 के गाइड लाइन्स में उल्लिखित समस्त प्रतिबन्धों/निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन प्रत्येक दशा में प्राथमिकता के आधार पर सम्बन्धित क्रय अधिकारी द्वारा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त अवमुक्त धनराशि को सम्बन्धित जनपद/चिकित्सालय के परिधिगत अधिकारियों को यथावश्यकानुसार/नियमानुसार हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. उपकरणों की स्थल पर आपूर्ति की तिथि से ही लॉगबुक अनुरक्षित की जाएं, ताकि निरीक्षण/ऑडिट अधिकारियों द्वारा इन मशीनों की स्थापना और उसके बाद इनकी समय-समय पर क्षमता के उपयोग के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। इसी शासन को भी अवगत करायेगे।
8. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत स्वीकृत किये जा रहे उपकरण मानक के अनुसार ही प्रस्तावित किये गये हैं। यदि मानक से इतर उपकरण/मशीन प्रस्तावित /क्रय किये जाते हैं तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
9. यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत किये उपकरणों/मशीनों के स्थान पर पूर्व से उपलब्ध पुराने उपकरणों/मशीनों को शासनादेश संख्या ए-2-1092/दस-2011-24(7)-95, दिनांक 25.11.2011 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य घोषित कर उनको निस्तारित किया गया है और प्रश्नगत पुराने उपकरण जमा औसत कालावधि पूर्ण कर चुके हैं। निष्प्रयोज्य उपकरणों के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
10. उपकरणों का अनुकूलन सदुपयोग सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक कुशल मानव शक्ति की उपलब्धता तत्पश्चात् से सुनिश्चित की जाए।
11. प्रश्नगत उपकरणों की स्थापना से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इनके रखने हेतु पर्याप्त स्थान एवं इनके संचालन हेतु दक्ष मानव संसाधन उपलब्ध है।
12. उपकरणों हेतु क्रय प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही धनराशि का आवश्यकतानुसार आहरण किया जायेगा।
13. विभाग द्वारा उपकरणों की आवश्यकता तथा मानक स्वयं सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि क्रय किये जा रहे उपकरण प्रश्नगत चिकित्सालय के लिये आवश्यक एवं मानकानुसार हैं।
14. उक्त स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0, बैंक अथवा डाकघर में नहीं रखा जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष रहती है तो उसे तत्काल राजकोष में जमा कर दिया जायेगा।

1. यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2. इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

15. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन हेतु किया जायेगा, जिस प्रयोजन हेतु धनराशि आवंटित की गयी है, इसमें किसी प्रकार का व्यावर्तन शासन की अनुमति लेकर ही किया जायेगा।
 16. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृतियों/कार्यों की पुनरावृत्ति न हो।
 17. उपकरणों की मद चूंकि मितव्ययिता की मद है, अतः इनके क्रय में व्यापक प्रचार-प्रसार एवं न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
 18. उपकरणों की गुणवत्ता का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व क्रयाधिकारी का होगा।
 19. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय की प्रक्रिया पूर्ण कर लिये जाने के बाद ही आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण सक्षम स्तर के अनुमोदन से किया जायेगा। आहरित धनराशि का व्यय करते समय विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से निर्गत किये गये मितव्ययिता संबंधी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 20. उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के फलस्वरूप नियमानुसार निर्धारित प्रमाण पर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।
 21. इस संबंध में लेखों का मिलान महालेखाकार, 30प्र0, प्रयोजन से करके इसकी सूचना यथासमय शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
 22. यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस कार्य में किसी भी प्रकार का विलम्ब न हो।
 23. उपरोक्त सन्दर्भित समस्त बिन्दुओं से इतर अन्य किसी राजकीय विभाग के शासनादेश जो क्रय नियमों से सम्बन्धित नहीं हैं, का निविदा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाना अनियमितता की श्रेणी में माना जायेगा। उपरिहार्य परिस्थितियों में औचित्यपूर्ण पाये जाने की स्थिति में शासकीय अनुमति के उपरान्त ही अपनाई गई प्रक्रिया नियमानुसार मान्य होगी।
 24. वित्त विभाग एवं शासन द्वारा निर्गत क्रयनीति द्वारा निर्धारित विशिष्टताओं, नियम, शर्तों तथा प्रतिबन्धों के अधीन ही समस्त उपकरणों का क्रय किया जाए तथा क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता में यदि कमी पायी जाती है, तो उक्त हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।
2. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 39,77,308 (रुपये उनतालीस लाख सतहत्तर हजार तीन सौ आठ मात्र) के बालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 032 लेखा शीर्षक 421001/42100400 जला/संयुक्त चिकित्सालयों में विशिष्ट चिकित्सा सुविधायें मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।
3. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाइज कार्पोरेशन लिमिटेड।
4. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, हरदोई।
5. निदेशक(चिकित्सा उपचार/नियोजन एवं बजट), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
7. अधीक्षण अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
8. अपर निदेशक (विद्युत), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
9. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
10. मुख्य चिकित्साधिकारी, हरदोई।
11. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/चिकित्सा अनुभाग-1/वित्त(आय-व्यय) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कुमार राय
संयुक्त सचिव

<http://shasanadesh.up.gov.in>